75

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

अपील प्रकरण कमांक 8007–पीबीआर/17 विरूद्ध आदेश दिनांक 9–8–2016 पारित द्वारा आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, मोतीमहल, ग्वालियर पृष्ठांकन कमांक 5(1) 2016–17/4039.

मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रायवेट लिमिटेड
सेहतगंज जिला रायसेन ....अपीलार्थी

विरूद्ध

1– आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
2– उपायुक्त आबकारी
संभागीय उड़नदस्ता भोपाल/उज्जैन
3– जिला आबकारी अधिकारी जिला देवास
4– प्रभारी अधिकारी, मेसर्स सोम डिस्टलरील
प्रायवेट लिमिटेड, सेहतगंज जिला रायसेन ....प्रत्यर्थीगण

श्री के.के. द्विवेदी, अभिभाषक, अपीलार्थी
श्री राजीव गौतम, अभिभाषक, प्रत्यर्थीगण

:: आ दे श ::
(आज दिनांक 9/8/17 को पारित)

अपीलार्थी द्वारा यह अपील मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 62 (सी) के अंतर्गत आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, मोतीमहल, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–8–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा उसे बोतल बन्द देशी मदिरा प्रदाय के लिए आवंटित देवास क्षेत्र के स्टोरेज मद्यभाण्डागार देवास में माह नवम्बर 2014 से मार्च 2015, स्टोरेज मद्यभाण्डागार सोनकच्छ में माह नवम्बर 2014 से फरवरी, 2015 एवं स्टोरेज मद्यभाण्डागार कन्नौद में माह नवम्बर 2014, दिसम्बर, 2014 तथा मार्च, 2015 तक की अवधि में बोतलबन्द देशी मदिरा का संग्रह निर्धारित न्यूनतम स्कंध अनुसार नहीं रखे जाने के कारण आबकारी आयुक्त द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को

कारण बताओ सूचना पत्र कमांक 5(1)/15–16/2973 दिनांक 30–7–2015 जारी किया गया । अपीलार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत कारण बंताओ सूचना पत्र का उत्तर संतोषजनक नहीं होने के कारण आबकारी आयुक्त द्वारा दिनांक 9–8–2016 को आदेश पारित कर अपीलार्थी कम्पनी द्वारा मध्यप्रदेश देशी स्प्रिट नियम 1995 (जिसे संक्षेप में देशी स्प्रिट नियम कहा जायेगा) के नियम 4 (4) का उल्लंघन किये जाने से देशी स्प्रिट नियमों के नियम नियम 12(1) के अन्तर्गत अपीलार्थी पर रूपये 15,000/– शास्ति अधिरोपित करने के साथ ही स्टोरेज मद्यभाण्डागारों में 31 दिवस बोतल बन्द देशी मदिरा प्रदाय हेतु चालान लम्बित रहने से रूपये 500/– प्रतिदिन के मान से रूपये 15,500/– तथा 78 दिवस बोतलबन्द देशी मदिरा का निर्धारित न्यूनतम स्कंध नहीं रखे जाने के कारण रूपये 250/– प्रतिदिन के मान से रूपये 19,500/– कुल रूपये 50,000/– शास्ति अधिरोपित की गई । आबकारी आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आबकारी आयुक्त द्वारा अपीलार्थी को सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का विधिवत अवसर प्रदान किये बिना जो आदेश पारित किया गया है, वह नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है । यह भी कहा गया कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा कारण बताओ सूचना का स्पष्ट जवाब दस्तावेज सहित प्रस्तुत किया गया था कि आसवक द्वारा उसे आवेटित क्षेत्र के मद्यभाण्डागारों में निरन्तर आवश्यकता एवं मांग के अनुसार मदिरा का प्रदाय किया गया है, जिसके कारण वर्ष 2014–15 में प्रदाय व्यवस्था सकुशल रही साथ ही शासन को अतिरिक्त आय भी हुई है । तर्क में यह भी कहा गया कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह निवेदन किया गया था कि किसी भी फुटकर ठेकेदार द्वारा मदिरा दुकानें बन्द रहने के कारण क्षति पूर्ति की मांग का कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, और न ही फुटकर ठेकेदारों की मांग के अनुसार प्रदाय देने में कोई विलम्ब हुआ है । ऐसी स्थिति में अपीलार्थी कम्पनी पर चालान लम्बित रहने का जो आरोप लगाया गया है, वह वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि राज्य शासन को क्या हानि हुई है, इसे सिद्ध करने का प्रमाण भार राज्य शासन पर था, जो कि उनके

द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है, इसलिए प्रमाण भार के अभाव में शासन को हुई हानि की कल्पना नहीं की जा सकती है ।

तर्कों के समर्थन में 2007 (दो) एस.सी.सी. 181, 2008 (14) एस.सी.सी. 151 ए.आई. आर. 1991 एस.सी. 1216, ए.आई.आर. 1981 एस.सी.सी. 136, 2010 आर.एन. 101 उच्च न्यायालय, 1989 जे.एल.जे. 185, ए.आई.आर. 1981 एस.सी. 1680 एवं 1989 आर.एन. 76 के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये ।

4/ प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा देशी स्प्रिट नियम के नियम 4(4) के अन्तर्गत 5 दिनों का औसत प्रदाय के समतुल्य भरी हुई बोतल बन्द मदिरा का संग्रह मद्यभाण्डागार में रखना अनिवार्य है, जो कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा नहीं रखा गया है । ऐसी स्थिति में आबकारी आयुक्त द्वारा नियम 12(1) के अन्तर्गत शास्ति अधिरोपित करने में उचित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि देशी स्प्रिट नियम के नियम 4(4) के अन्तर्गत 5 दिनों का औसत प्रदाय के समतुल्य भरी हुई बोतल बन्द मदिरा का संग्रह मद्यभाण्डागार में रखना अनिवार्य है, किन्तु अपीलार्थी कम्पनी द्वारा उक्त नियम का पालन नहीं किया गया गया है एवं स्कंध की न्यूतम संग्रह नहीं रखने का कोई कारण नहीं बतलाया गया है ।

उनके द्वारा आबकारी आयुक्त का आदेश यथावत रखते हुए अपील निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । आबकारी आयुक्त के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा उसे स्वीकृत प्रदाय क्षेत्र के मद्यभाण्डागारों में नवम्बर, 2014 लगायत मार्च 2015 तक बोतल बन्द मदिरा का निर्धारित न्यूनतम स्कन्ध का संग्रह नहीं रखा गया है, इस कारण चालान लंबित रहे हैं, जिनका उल्लेख आबकारी आयुक्त द्वारा अपने आदेश में किया गया है । अतः स्पष्टतः जहॉ अपीलार्थी इकाई द्वारा टेण्डर एवं लायसेंस की शर्तो का उल्लघंन किया गया है वहीं देशी स्प्रिट नियम के नियम 4(4) का भी उल्लघंन किया गया है क्योंकि नियम 4(4) में न्यूनतम संग्रह रखे जाने का प्रावधान है । जहॉ नियम 4(4) का उल्लघंन है वहॉ नियम 12(1) के अन्तर्गत शास्ति अधिरोपित

करने का प्रावधान है, अतः आबकारी आयुक्त द्वारा अपीलार्थी इकाई पर शास्ति अधिरोपित करने में किसी प्रकार की अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । इस संबंध में अपीलार्थी इकाई द्वारा तर्को में यह दर्शाने का प्रयास किया गया है कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा न्यूनतम संग्रह नहीं रखने से शासन को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है इसलिये उस पर शास्ति अधिरोपित नहीं की जा सकती है । इस संबंध में जहॉ अधिनियम अथवा नियमों में स्पष्ट आज्ञापक प्रावधान है और उन प्रावधानों का उल्लंघन अपीलार्थी कम्पनी द्वारा किया जाता है, तब उस पर शास्ति अधिरोपित की जाना वैधानिक दृष्टि से उचित कार्यवाही है । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टांत इस प्रकरण के निराकरण के लिये प्रासंगिक नहीं होने से उन पर विचार किये जाने की आवश्यकता नहीं है। दर्शित परिस्थितियों में आबकारी आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, मोतीमहल, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–8–2016 स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है ।

यह आदेश प्रकरण कमांक अपील 8010–पीबीआर/17 एवं अपील 8013–पीबीआर/17 मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रायवेट लिमिटेड सेहतगंज जिला रायसेन विरूद्ध आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर आदि पर भी लागू होगा । अतः आदेश की एक प्रति उक्त प्रकरणों में संलग्न की जाये ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर